न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील सं. : 13/25

रमजानी पुत्र कालूखॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम धूलेट तहसील सांगोद जिला कोटा।
———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी, कनवास जिला कोटा ।
———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 05.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.2012 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि न्यायालय सहायक वन संरक्षक, वन मण्डल कोटा जिला कोटा ने अप्रार्थी अपीलान्ट को ग्राम धूलेट वनखण्ड गुन्जारी की वन भूमि आराजी खसरा नं. 1596 की रकबा 4.00 हैक्टर वनखण्ड की भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण करने से अपीलान्ट के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए फसल जब्त करने एवं बेदखल करने तथा धारा 91 (ा) के अन्तर्गत पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के दोष में लगान 5000/– रूपये शास्ति एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के दोष में 60 दिवस (दो माह) के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय अपने आदेश दिनांक 03.04.2012 के द्वारा पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा (प्रथम अपीलेट न्यायालय) में अपील प्रस्तुत की । प्रथम अपीलेट न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुए अपीलान्ट की अपील अपने आदेश दिनांक 25.10.2012 के द्वारा खारिज कर दी । उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने

यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया ।

अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की नकल प्राप्त करने के बाद अपीलान्ट की तबियत खराब हो गयी जिसस वह न्यायालय में समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सका था । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

4. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से उक्त अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जा रहा है । रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई ।

5. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया था जो वनपाल की रिपोर्ट एवं बयानों से सिद्ध होता है । वादग्रस्त आराजी वन विभाग की आरक्षित भूमि है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेज से पूर्णतया साबित है कि अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया हुआ है और अतिक्रमित भूमि वन विभाग की आरक्षित भूमि है उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बहाल रखा जावे ।

6. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपील मीमो का गहनता से अवलोकन किया । पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया । अपील मीमो में मुख्य रूप से कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी रिकॉर्ड के केवल वनपाल की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए उक्त निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

7. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.2012 निरस्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा